न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

निर्णय दिनांक
24-5-23

दावा सख्या	रजू दिनांक
158 / 2022	16.05.2022

उनवान

1. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी गुरूदीप जाति बावरिया निवासी ग्राम ईश्वरीसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला अलवर।

:—वादनी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

:— प्रतिवादी।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0 बावत दुरूस्ती इन्द्राजात।

उपस्थिती:— 1 श्री अरविन्द कुमार यादव एड0 वादनी की ओर से।
2 प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादनी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं.हाल 337 / 0.17 वाके ग्राम ईश्वरीसिंहपुरा तह0 नीमराना मे स्थित है। जिसमे वादनी के पति के नाम से हिस्सा 5 / 48 की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे मिन वादनी के पति का नाम गुरूदीप पुत्र बंशीराम के स्थान पर गुरवीर पुत्र बंशीराम दर्ज किया हुआ है। जिस गलत नाम को दुरूस्त करवाने हेतु यह दावा पेश किया जा रहा है।
2. वादनी के पति का वास्तविक नाम गुरूदीप पुत्र बन्शीराम है जो फौत हो चुके है, परिवार को सजरा वाद मे अंकित है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी मिन वादनी को तब हुई जब अपने पति के विरासत का इंतकाल खुलवाने के लिए दिनांक 05.05.2022 को पटवारी हल्का से मिली तब पटवारी हल्का ने बताया कि आपके राजस्व रिकॉर्ड मे आप के पति का नाम गुरूदीप पुत्र बंशीराम के बजाय गुरवीर पुत्र बंशीराम दर्ज है,इसलिए नाम मे भिन्नता होने के कारण विरासत का इंतकाल नही खुल सकता। आप पहले रिकॉर्ड मे अपने पति का नाम सही करवाओ बाद दुरूस्ती आपके पति की विरासत का इंतकाल खुल सकता है। वादनी के पति के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड,परिवार राशनकार्ड वोटर आईडी, कक्षा 08 वीं की अंक तालिका एंव मृत्यु प्रमाण पत्र मे गुरूदीप पुत्र बंशीराम नाम दर्ज है। राजस्व विभाग कर्मचारीयों के द्वारा गलती व लापरवाही व बिना पुछताछ किए वादनी के पति का नाम गुरूदीप पुत्र बंशीराम के स्थान पर गुरवीर पुत्र बंशीराम गलत दर्ज कर दिया। जबकि गुरवीर पुत्र बंशीराम नाम का कोई व्यक्ति हमारे गांव मे अन्य कोई व्यक्ति नही है। राजस्व रिकॉर्ड मे पति के नाम मे दुरूस्ती के लिए न्यायालय श्रीमान मे यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।
3. अन्त मे वादनी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:—
   (क) डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की जारी की जावे कि आराजी ख.नं. हाल 337 / 0.17 वाके ग्राम ईश्वरीसिंहपुरा तह.नीमराना के हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खातेदारी कॉलम मे जहॉ पर वादनी के पति का नाम " गुरवीर पुत्र बन्शीराम" दर्ज है,जो गलत हैं जिसकों वादनी के पति के मृत्यू प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अन्य समस्त दस्तावेजात के आधार पर दुरूस्त किया जा कर उसके स्थान पर "गुरूदीप पुत्र बंशीराम" दर्ज किए जाने की घोषणा फरमाई जावे एंव इसी अनुसान हाल राजस्व रिकार्ड मे वादनी के पति का नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमायें जावे।

खण्ड अधिकारी
मराना (अलवर)

(ख) खर्चा मुकदमा वादनी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।
(ग) दीगर दादरसी जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाई जावे।

4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रति0 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया कि वादनी अपने वाद को स्वयं सिद्व करे। वाद मे कोई राजहित प्रभावित नही होता है।

5. वादनी ने अपने वाद की पुष्टि मे साक्ष्य के रूप स्वयं का शपथ पत्र,तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी हाल, सरपंच ग्राम पंचायत फौलादपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 16.08.2018, नकल नोटिस धारा 80 जा0दी0,रसीद पोस्ट ऑफिस व छायाप्रति आधार कार्ड,राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र,अंक तालिका पेश किये है।

6. वकील वादनी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे वादनी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत फौलादपुर वारीस प्रमाण पत्र मे वादनी के पति का सही नाम''गुरूदीप पुत्र बंशीराम''होना बताया है,तथा वादनी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधार कार्ड,,राशन कार्ड, वोटर आई डी,अंक तालिका के अवलोकन से साबित है कि वादनी के पति का सही नाम गुरूदीप पुत्र बंशीराम है। तथा वादी ने अपने स्वयं शपथ पत्र मे भी अपने पति का सही नाम गुरूदीप पुत्र बंशीराम होना बताया है। वादनी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात के आधार पर वादनी का वाद साबित होता है। इसलिए वाद वादनी डिक्री किए जाने योग्य है।

7. अतः आदेश है कि:-

वाद वादनी बहक वादनी विरूद्व प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. 337/0.17 वाके ग्राम ईश्वरीसिंहपुरा तह.नीमराना मे वादनी के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे **गुरवीर पुत्र बंशीराम** अंकित हो रहा है, जो गलत है, जिसे कलमजन किया जाकर वादनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर दुरूस्त किया जाकर वादनी के पति का सही नाम**गुरूदीप पुत्र बन्शीराम** अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। तथा इसी प्रकार से बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादनी स्वयं वहन करेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24-5-23 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

24/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

वाद सं. 158/22 दायर दि० 16-5-22 पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी गुरूदीप जाति बावरिया निवासी ग्राम ईश्वरीसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला अलवर।

:—वादनी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

:— प्रतिवादी।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0 बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात।

उपस्थिती:— 1 श्री अरविन्द कुमार यादव एड0 वादनी की ओर से।
2 प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा।

—::पर्चा डिक्री::—

दि0 24-5-23

वाद वादनी बहक वादनी विरूद्व प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आराजी ख. नं. 337/0.17 वाके ग्राम ईश्वरीसिंहपुरा तह.नीमराना मे वादनी के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे **गुरवीर पुत्र बंशीराम** अंकित हो रहा है, जो गलत हैं, जिसे कलमजन किया जाकर वादनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर दुरूस्त किया जाकर वादनी के पति का सही नाम **गुरूदीप पुत्र बन्शीराम** अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। तथा इसी प्रकार से बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादनी स्वयं वहन करेगी।

24/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)